झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

कार्यालय– सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा

अति–अल्पकालीन निविदा/कोटेशन आमंत्रण सूचना– 01/2026–27 का पुनः प्रकाशन

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026–27 का में कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों में कीटपालन, बीजागार एवं कार्यालय के राजकीय फार्म तथा सिल्क समग्र योजना हेतु सामग्री/ उपस्कर आदि क्रय किया जाना है। उक्त के प्रयोजनार्थ इच्छुक इकाई/प्रतिष्ठान से सीलबंद (लाह से) निविदा/कोटेशन आमंत्रित की जाती है–

1. कार्यालय में निविदा जमा करने की अंतिम तिथि– दिनांक 03.08.2026 को अपराह्न 05.00 बजे तक।
2. निविदा जमा करने का स्थान– सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), प0 सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।
3. निविदा खोलने की तिथि– दिनांक 04.08.2026 को पूर्वाहन 11.00 बजे।
4. EMD की राशि–
   I. केवल भाग– I हेतु– रू0 1,25,000/– (एक लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र।
   II. केवल भाग– II हेतु– रू0 75,000/– (पचहतर हजार रूपये) मात्र।
   III. भाग– I एवं भाग– II दोनों हेतु– रू0 2,00,000/– (दो लाख रूपये) मात्र।
5. सहायक उद्योग निदेशक(रेशम), प0 सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष निविदा खोला जायेगा एवं न्युनतम दर वाले आपूर्तिकर्त्ता का चयन किया जायेगा।
6. चयनित निविदाकर्त्ता को कार्यादेश निर्गत होने के दस दिनों के अन्दर सामग्री की आपूर्ति कार्यालय (कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों) में करना होगा।
7. निविदाकर्त्ता द्वारा वित्तीय विड में अंकित किये गये जी0एस0टी0 सहित सामग्री के मुल्य के अतिरिक्त अन्य कोई कर अथवा व्यय भुगतान नहीं किया जायेगा और न हीं कोई अग्रिम भुगतान किया जायेगा।
8. इस निविदा को किसी भी समय बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित होगा।

नोटः– निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तें एवं सामग्रीयों/उपस्कर की सूची का विवरण कार्यालय के सूचना पट्ट पर देखा जा सकता/ प्राप्त किया जा सकता हैं। साथ ही इससे संबंधित सूचना कार्यालय की वेवसाईट –www.adicbsa.com एवं हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, रॉची की वेवसाईट– https://jharsericulture.jharkhand.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

ह0/–

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),

प0 सिंहभूम, चाईवासा।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग
हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय
कार्यालय– सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा

अति–अल्पकालीन निविदा/कोटेशन आमंत्रण सूचना– 01/2026–27
(पुनः प्रकाशन)

वित्तीय वर्ष 2026–27 का में कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों में कीटपालन, बीजागार एवं कार्यालय के राजकीय फार्म तथा सिल्क समग्र योजना हेतु सामग्री/ उपस्कर आदि क्रय किया जाना है। उपरोक्त क्रम में कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों में उपस्कर/ सामग्री आदि आपूर्ति के निमित्त इच्छुक इकाई/प्रतिष्ठान से दिनांक– 03.08.2026 के अपराह्न 05.00 बजे तक निम्नांकित नियम एवं शर्तों के अधीन सीलबंद निविदा/कोटेशन आमंत्रित की जाती है। स–समय प्राप्त कोटेशन को दिनांक– 04.08.2026 को ही पूर्वाह्न 11.00 बजे सहायक उद्योग निदेशक(रे0), प0 सिंहभूम, चाईबासा की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष सहायक उद्योग निदेशक(रे0), प0 सिंहभूम, चाईबासा के कार्यालय कक्ष में खोला जायेगा। निविदा/कोटेशन जमा करने से संबंधित नियम–शर्तों का विवरण एवं सामाग्रियों/उपस्कर की सूची परिशिष्ट– **'ख'** (भाग– I तथा भाग– II) कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही इससे संबंधित सूचना कार्यालय की वेवसाईट –www.adicbsa.com एवं हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय, झारखण्ड, रॉची की वेवसाईट– https://jharsericulture.jharkhand.gov.in/ पर देखा जा सकता है।

नियम एवं शर्तें

1. इकाई/प्रतिष्ठान जी0 एस0 टी0 निबंधित होना चाहिये।
2. रेशम प्रक्षेत्र के किसी भी कार्यालय (झारखण्ड सरकार/केन्द्र सरकार) में रेशम कीटपालन/ बीजागार सामग्री उपलब्ध कराने का अनुभव होना चाहिये।
3. निविदा/कोटेशन के साथ अग्रधन (EMD) का बैंक ड्राफ्ट, **सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) के नाम से देय होगा एवं चाईबासा में भुगतेय होगा।** विवरण–
   I. केवल भाग– I हेतु– रू0 1,25,000/– (एक लाख पच्चीस हजार रूपये) मात्र।
   II. केवल भाग– II हेतु– रू0 75,000/– (पचहतर हजार रूपये) मात्र।
   III. भाग– I एवं भाग– II दोनों हेतु– रू0 2,00,000/– (दो लाख रूपये) मात्र।
4. बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से ही बना होना चाहिए।

ADI, Chaibasa

5. सामाग्रियों/उपस्कर की सूची –परिशिष्ट– **'ख'** (भाग– I तथा भाग– II) पर अंकित है।

6. तकनीकी निविदा के कागजात/शर्तें परिशिष्ट– **'क'** के अनुसार संलग्न करना होगा एवं लिफाफा के उपर तकनीकी निविदा स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये।

7. वित्तीय निविदा अलग लिफाफा में देना है तथा लिफाफा के उपर वित्तीय निविदा भाग– I अथवा भाग– II स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिये। अर्थात प्रत्येक भाग हेतु अलग– अलग लिफाफा में वित्तीय निविदा देना है।

8. यदि कोई आपूर्तिकर्त्ता (इकाई/प्रतिष्ठान) तकनीकी निविदा सफल हुये है, परन्तु उनका दोनों भाग का वित्तीय निविदा एक हीं लिफाफे पाया जाता है तो उनके वित्तीय निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा तथा उनका वित्तीय निविदा पुनः लिफाफे में सीलबंद कर दिया जायेगा।

9. तकनीकी एवं वित्तीय निविदा के लिफाफों को सीलबंद कर पुनः एक अन्य लिफाफा में डालकर लाह से सीलबंद कर कार्यालय में समर्पित करना होगा। बाहरी लिफाफा लाह से सीलबंद नहीं रहने पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।

10. तकनीकी निविदा में सक्षम इकाई का ही वित्तीय निविदा खोला जायेगा।

11. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।

12. चयनित इकाईयों को छोड़कर शेष इकाईयॉ आवेदन देकर अपना EMD (बैंक ड्राफ्ट) उसी दिन वापस प्राप्त कर सकते हैं।

13. चयनित इकाईयों का अग्रधन की राशि चालू वित्तीय वर्ष में कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों में उनके मांग के अनुरूप सामग्रीयों/उपस्करों की गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति किये जाने के स्थिति में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त वापस की जायेगी।

14. क्रय समिति द्वारा दर निर्धारण के उपरान्त विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों द्वारा आपूर्ति आदेश निर्गत होने की स्थिति में 10 दिनों के अन्दर सामाग्री/उपस्करों की आपूर्ति संबंधित अग्र परियोजना केन्द्र निश्चित रूप से करनी होगी।

15. चयनित इकाई/इकाईयों को क्रय समिति द्वारा दर निर्धारण के उपरान्त निर्धारित दर पर ही कोल्हान प्रक्षेत्र के सभी अग्र परियोजना केन्द्रों में उनके माँग/मात्रा के अनुरूप आपूर्ति करनी है।

16. अग्र परियोजना केन्द्रों में सामाग्री/उपस्करों की आपूर्ति हेतु सामाग्री/उपस्करों के निर्धारित मुल्य (GST सहित) के अतिरिक्त परिवहन व्यय या अन्य कोई व्यय का भुगतान देय नहीं होगा अर्थात चयनित इकाई को स्वयं के व्यय पर विभिन्न कार्यालयों (कोल्हान प्रक्षेत्र के विभिन्न अग्र परियोजना केन्द्रों) तक सामाग्री उपलब्ध करानी होगी अन्य कोई व्यय स्वीकार/भुगतान नही किया जायेगा।

17. स–समय सामग्री / उपस्करों की आपूर्ति संबंधित अग्र परियोजना केन्द्र में नहीं किये जाने की स्थिति में अग्रधन की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं इकाई / प्रतिष्ठान को Blacklist करने के निमित्त अग्रेत्तर कार्रवाई की जा सकती है।
18. सभी भुगतान कोषागार द्वारा अनुमान्य कटौती के उपरान्त किया जायेगा।
19. क्रय समिति द्वारा निर्धारित दरें अधिकत्तम एक वर्ष एवं न्यूनतम चालु वित्तीय वर्ष हेतु मान्य होगी।
20. झारखण्ड अधिप्राप्ति नीति 2014 (Jharkhand Procurement Policy-2014) यथा संशोधित 2019 के प्रावधान के अनुसार सभी आवश्यक शर्तों को पूर्ण करने पर MSEs प्रक्षेत्र के इकाईयों को आवश्यक छूट / लाभ प्रदत् होगी।
21. वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार की अधिसूचना सं– 2315, दिनांक– 04.10.2024, द्वारा अधिसूचित Jharkhand Procurement of Goods and Services Manual में वर्णित प्रावधानों के अनुसार निविदा की शर्तें लागु होगी।
22. GEM-Portal से सामग्रियों के क्रय हेतु निबंधन आदि प्रक्रियाधीन है। निबंधन उपरांत आवश्यकतानुसार GEM से क्रय को प्राथमिकता दिया जायेगा।
23. बिना कारण बताये अद्योहस्ताक्षरी को निविदा को रद्द करने / संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
प0 सिंहभूम, चाईवासा।

ADI, Chaibasa

परिशिष्ट– 'क'– (तकनीकी निविदा की शर्तें)

निविदाकर्ता/आपूर्तिकर्ता को तकनीकी लिफाफे में निम्न कागजात को संलग्न करना अनिवार्य है–

1. पैन कार्ड की स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति/ कम्पनी के स्थिति में सभी निदेशकों का पैन कार्ड।
2. आधार कार्ड की स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति/ कम्पनी के स्थिति में सभी निदेशकों का पैन कार्ड।
3. जी0 एस0 टी0 निबंधन की स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति।
4. उद्यम निबंधन का प्रमाण पत्र की स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति। (JPP, 2014 में वर्णित प्रावधानों के तहत छुट का दावा करने पर अन्य शर्तों के साथ संबंधित महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र से सत्यापित प्रति।)
5. अग्रधन (EMD) का बैंक ड्राफ्ट **सहायक उद्योग निदेशक (रेशम) के नाम से देय होगा एवं चाईबासा** में भुगतेय होगा तथा बैंक ड्राफ्ट भारतीय स्टेट बैंक से ही बना होना चाहिए।
6. अद्यतन जी0 एस0 टी0 का रिर्टन फाईल की स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति (तीन माह से पूर्व का मान्य नहीं)।
7. विगत तीन वर्ष (Assesment year– 2023–24, 2024–2025 एवं 2025–26) का आयकर रिर्टन फाईल की स्व–हस्ताक्षरित छाया प्रति।
8. गत वित्तीय वर्ष का CA से अभिप्रमाणित लाभ– हानि विवरण (Profit- loss statement) की छाया प्रति।
9. रेशम प्रक्षेत्र के किसी भी कार्यालय (झारखण्ड सरकार/केन्द्र सरकार) में रेशम कीटपालन/ बीजागार सामाग्री उपलब्ध कराने का अनुभव प्रमाण पत्र।
10. आपूर्तिकर्ता के काली सूची में शामिल नहीं होने से संबंधित शपथ–पत्र। (छायाप्रति मान्य नहीं होगा तथा निविदा प्रकाशित होने के बाद की तिथि का बना होना चाहिये)
11. PR 383141 West Singhbhum(26-27).D द्वारा अखबार में प्रकाशित निविदा के क्रम में जिन निविदादाताओं/ आपूर्तिकर्ताओं ने निर्धारित अवधि में निविदा जमा किया है। वे निविदादाता/ आपूर्तिकर्ता उक्त अवधि का बना हुआ बैंक ड्राफ्ट तथा शपथ–पत्र पुर्नप्रकाशित इस निविदा में जमा कर सकते हैं।

ह0/–

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
प0 सिंहभूम, चाईवासा।

ADI Chaibasa

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

कार्यालय– सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा

अति–अल्पकालीन निविदा / कोटेशन आमंत्रण सूचना– 01 / 2026–27

परिशिष्ट– 'ख'

भाग – I

कीटपालन, बीजागार, फॉर्म एवं कार्यालय से संबंधित सामग्री / उपस्कर

क्र0	सामाग्री का नाम	इकाई	अभियुक्ति
1	स्लाईड (ब्लू स्टार)	प्रति पीस	
2	कभर स्लीप (ब्लू स्टार)	प्रति पीस	
3	ब्लोटींग पेपर (Size- A3)	प्रति पीस	
4	चुना (Slaked lime in powder form in 10 kg packet)	प्रति कि0ग्रा0	
5	ब्लीचिंग पाउडर (35–39%)	प्रति कि0ग्रा0	
6	फॉर्मलीन 37–41% (05 ली0 जार)	प्रति ली0	
7	मारकीन कपड़ा	प्रति मीटर	
8	लॉईफबॉय साबुन 40gm	प्रति पीस	
9	सोडियम हाईपोक्लोराइट (500 ml)	प्रति पीस	
10	डिटेरजेंट पाउडर (घड़ी 01 कि0ग्रा0 पैकेट)	प्रति कि0ग्रा0	
11	नोज मास्क (कपड़ा वाला)	प्रति पीस	
12	नोज मास्क (डिस्पोजेबल– 50 पीस पैक)	प्रति पैकेट	
13	सैनेटाईजर – 100 मी0ली0 / 200 मी0ली0	प्रति पीस	
14	हैंण्ड ग्लब्स (Medium Thikness)	प्रति पीस	
15	कैंची साईज 8–9 इन्च (Stainless steel with plastic handle)	प्रति पीस	
16	जूट सुतली (मेडियम थिकनेस)	प्रति कि0ग्रा0	
17	डिटॉल (60मी0ली0)	प्रति पीस	

ADI, Chaibasa

18	फेस सिल्ड मास्क	प्रति पीस	
19	टुथपीक (wooden)	प्रति पैकेट	
20	खस मैट Required size 6'x5' , 5'x5' & 5'x4' as per need of diff. PPCs	प्रति वर्ग फीट	
21	अर्दन पॉट (egg laying device)	प्रति पीस	
22	फिनाईल 1 ली0	प्रति बोतल	
23	नीम खली	प्रति कि0ग्रा0	
24	वर्मी कम्पोस्ट	प्रति कि0ग्रा0	
25	निलकमल / सुप्रीम कैरेट 600mmx400mmx320mm	प्रति पीस	

नोटः— जिन सामग्रीयों में ब्राण्ड या कम्पनी का नाम अंकित नहीं किया गया है, तथा विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा अलग— अलग ब्राण्ड या कम्पनी का वित्तीय निविदा में दर अंकित किया गया हो तो वैसी स्थिति में न्यूनतम मुल्य एवं गुणवत्ता दोनों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा इस संदर्भ में क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
प0 सिंहभूम, चाईवासा।

ADI, Chaibasa

झारखण्ड सरकार

उद्योग विभाग

हस्तकरघा, रेशम एवं हस्तशिल्प निदेशालय

कार्यालय– सहायक उद्योग निदेशक (रेशम), चाईबासा

अति–अल्पकालीन निविदा / कोटेशन आमंत्रण सूचना– 01 / 2026–27

परिशिष्ट– ख

भाग – II

(सिल्क समग्र योजना से संबंधित सामग्री)

क्र0	सामाग्री का नाम	इकाई	अभियुक्ति
1	सिकेचर प्रोफेसनल (फालकॉन)	प्रति पीस	
2	Looping shear (फालकॉन)	प्रति पीस	
3	नाईलॉन नेट size-40'x30'x10'	प्रति पीस	
4	गटोर स्प्रेयर – Air compressor tank brass made ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति सेट	
5	माईक्रोस्कोप लाईट अरैंजमेंट के साथ Compound Microscope having Magnification 15X45 (Almicro/Lafco)	प्रति पीस	
6	प्लास्टीक मग (1 ली0) – ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति पीस	
7	प्लास्टीक बाल्टी (20 ली0) – ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति पीस	
8	प्लास्टीक टव (10 ली0) – ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति पीस	
9	प्लास्टीक टव (20 ली0) – ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति पीस	
10	प्लास्टीक ड्रम (60 ली0) – ब्रान्डेड कम्पनी का	प्रति पीस	
11	नाईलॉन नेट बैग (एग लेईंग हेतु)	प्रति पीस	दोनों में से किसी एक का क्रय किया जायेगा।
12	प्लास्टिक एग लेईंग बाक्स (एग लेईंग हेतु)	प्रति पीस	
13	एग ड्राईंग कैविनेट (With fan) साईज– L-3',W-2', H- standard	प्रति पीस	
14	मॉथ टेस्टींग टेबल (लकड़ी का)	प्रति पीस	

ADI, Chaibasa

	साईज– L- 5’ W-1.5’ H- Standard		
15	लकड़ी का स्टुल साईज– Standard	प्रति पीस	
16	खरल –मुसल (10 ग्रुभ)	प्रति सेट	
17	मेजरिंग सिलेंडर 250 मी0ली0 प्लास्टीक का	प्रति पीस	
18	वेईंग वैलेंस (01 ग्राम से 02 कि0ग्रा0 कैपेसिटी) Battery operated with charging Facility	प्रति पीस	
19	डिस्ईन्फेक्सन मास्क (eye protection के साथ)	प्रति पीस	
20	Wet & Dry थर्मामीटर (Zeal)	प्रति पीस	
21	Max-Min थर्मामीटर (Zeal)	प्रति पीस	
22	सोलर लालटेन (ISI Mark)	प्रति पीस	
23	G.I. wire 2.5 mm	प्रति किलो	

नोटः– जिन सामग्रीयों में ब्राण्ड या कम्पनी का नाम अंकित नहीं किया गया है, तथा विभिन्न आपूर्तिकर्त्ताओं द्वारा अलग– अलग ब्राण्ड या कम्पनी का वित्तीय निविदा में दर अंकित किया गया हो तो वैसी स्थिति में न्यूनतम मुल्य एवं गुणवत्ता दोनो के आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा इस संदर्भ में क्रय समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा।

सहायक उद्योग निदेशक (रेशम),
प0 सिंहभूम, चाईवासा।

ADI, Chaibasa